25.11.024	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की रजि.एडी. डिलवरी रिपोर्ट पेश की मूल वाद के साथ संलग्न है। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1364/3250 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1365 रकबा 0.44 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी आई हुई है। जिसमें संयुक्त खातेदारी की सहमति से मौखिक बंटवाड़े के जरिये मौके आपसी सहमति बंटवाड़ा कर प्रत्येक का हिस्सा अलग–अलग कर माठे कायम कर कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया। माफिक बंटवाड़े से प्रार्थी 1/2 हिस्से आराजी मौके पर अलग से चारों तरफ माठे कायम कर कब्जा प्रार्थी का है। अप्रार्थी की नियम में खोट पैदा हो जाने से बंटवाड़े से मुर्कर जाने व प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी को जबरदस्ती हड़पना चाहते है। तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी विधिवत बंटवाड़ा सम्पन्न होने से पूर्व में किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को अवैध रूप से बैचान कर प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल करने की धमकिया दी है। उक्त आराजी हिस्से अनुसार प्रार्थी शांतिपूर्वक बैरोक टोक मौखिक बंटवाड़े की तारीख से कब्जा काश्त आया होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। जहां अपूरणीय क्षति का प्रश्न पैदा होता है प्रार्थी लगातार शांति पूर्वक प्रार्थी के हिस्से की आराजी में आया होने से यदि प्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो अपूरणीय क्षति होगी जो रूपयों पैसो में आंकलन नही की जा सकेगी। ऐसी प्रस्थितियों में वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश फरमावे। हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अ[illegible] अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी[illegible] होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व [illegible] संतुलन प्रार्थीग[illegible] पक्ष में प्रतीत नही होता है। अतः न्यायहित में प्र[illegible]गण का प्रार्थना प[illegible]स्वीकार किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दपत्तर हो एवं नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner